02.07.18	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2016/00100 अपील संख्या 145/2016 (223 आर.टी.एक्ट) उनवानः–नंदराम बनाम मदनमोहन	
	वकुलाय फरीकेन उप.। वकील अपीलार्थी की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण हिस्से का बटवारा नहीं किया है। अतः पुनः विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे वकील प्रत्यर्थी की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामे के आधार पर विभाजन हुआ है और जिन नम्बरो में अपीलार्थी अपना हक बताकर आये है उनको अपी. के सामूहिक हिस्से में जोड दिया गया है। जिसका विभाजन वे स्वयं करवा सकते है। बहस उभयपक्ष से प्रकट होता है कि कुरा सं0 1 व 3 में पक्षकार के बीच कोई विवाद नहीं है। कुरा न0 3 व 5 में प्रतिवादी सं0 1 से 4 एवं वादीगण के बीच में हक तय हुऐ है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है फिर भी चूकिं बटवारा पूर्ण नहीं हुआ है। अतः कुरा न0 3,4एवं 5 का विधिवत बटवारा करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एव वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर रहे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official